कोटकासिम (अलवर)

12/7/18 बाबूलाल 3540 / प्रा.पत्र 07-R-11 स्वीकार किया
गया है। निर्णय पृथक से संलग्न किया जाकर
आदेश पारित किया गया। पत्रावली में लिखा
अनुपालन होकर बाहर से काम हो तथा बाद
तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

निर्णय दिनांक 12/07/2018

दमा संख्या 205/10
र दिनांक 03.11.2010

उनवान

1. मन्जू देवी पुत्री रामचन्द्र जाति अहीर निवासी नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला– अलवर (राजस्थान)
–वादिया

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम
11 व सपठित धारा 151 जा0दी0

आदेश दिनांक 12/07/2018

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। वादिया ने दिनांक 03.11.2010 को एक वाद पत्र अन्तर्गत इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व तकासमा मय हुकमईमतनाईदवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 117/3.09, 118/0.03, 119/0.05, 120/8.06, 606/4.06 बीघा कुल किता 5 रकबा 16.09 बीघा मुताबिक खाता 158 वाके ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम आराजी हाल खसरा नम्बर 513/0.74 हैक्टर मुताबिक खाता संख्या 164 व आराजी नम्बर 536/0.66, 537/0.30, 538/0.21, 511/2.19 हैक्टर मुताबिक खाता संख्या 159 वाके ग्राम भौंकर मिन वादिया की हिन्दु मुश्तर्का खानदान की दादालाई आराजी है जिसमें वादिया के हक हकूक बाई बर्थ निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 वादिया का सगा पिता है। उक्त आराजीयात से प्रतिवादी संख्या–1 का 1/5 हिस्सा है जिसमें वादिया प्रतिवादी संख्या –1 के 1/5 हिस्से में से अपने 1/8 हिस्से पर सामलात में काबिज काश्त है एवं इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का अमलदरामद करवाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादीगण आये दिन वादिया के सामलाती हिस्से के कब्जा काश्त में मजाहमत व मदालखत पैदा करते रहेते है, फसल बोने में रूकावट पैदा करते रहते है जिससे सामलात में काबिज व दाखिल होकर काश्त करना नामुनकिन हो गया है। अतः उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या –1 रामचनद्र के 1/5 हिस्से में से वादिया को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे प्रतिवादी संख्या–1 के 1/5 हिस्से में से वादिया के 1/8 हिस्से का तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस कुर्रेजात कायम कर अलग खाता कायम किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जर्रिये हुकमईमतनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजीयात को कही दीगर जगह रहन, बय, हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे ना ही वादिया के सामलाती हिस्सें के कब्जा काश्त में मजामहत पैदा करे, ना ही जबर बेदखल करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर प्रतिवादीगणों को जर्ये सम्मन तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6 एवं 8 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादिया द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए विवादीत भूमि को वादिया की दादालाई भूमि नही बताते स्वंय अर्जित भूमि बताते हुए वादिया का किसी प्रकार का हकूक निहित नही होना बताया तथा वादिया का अपने ससुराल ग्राम बिरहेडा तहसील पटोदी जिला गुड़गांवा में

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

करना बताया। शेष प्रतिवादी वाद सूचना अनुपस्थित रहने से इन्हो के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही के हुए है।

दौराने कार्यवाही दिनांक 06.03.2012 को प्रतिवादी संख्या–1 रामचन्द्र पुत्र रिछपाल ने अन्तर्गत आदेश 7 म 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा में वर्णित आराजी वाके भौंकर प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या–1 की स्वयं की पैदाकर्ता स्वयं अर्जित आराजी है जिसकी बाबत वादिया को सी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का कानूनन कोई अधिकार नही हैं। आराजी नम्बर 118, 119, 120, 606, 17 वाके ग्राम नसोपुर का दान पत्र मिन प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–1 ने दिनांक 25/10/2010 को प्रतिवादी ख्या–2 के पक्ष में तहरीर व तस्दीक करा दिया था जो कि एक पंजिबद्ध दस्तावेज है, कानूनन इस दस्तावेज को निरस्त किये बिना वादिया को अनुतोष नही दिया जा सकता है तथा पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त किये जाने का धिकार एक मात्र सिविल न्यायालय को ही है। अतः वादिया का वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत खारिज फरमाया जावे।

वादिया ने इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या–1 की यं अर्जित आराजी नही होकर दादालाई आराजी है। यह आराजी सेटलमेन्ट के दौरान विरासत इन्तकाल के जरिये प्राप्त हुई है। ग्राम भौंकर का रिकॉर्ड मिन वादिया द्वारा काफी ढूढा परन्तु प्राप्त नही हुआ। ग्राम नसोपुर का प्राप्त हुआ जो वाद पत्र में लगाया हुआ है। आराजी नम्बर 118, 119, 120, 606, 117 वाके ग्राम नसोपुर का दान पत्र दिनांक 25.10.2010 को प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रतिवादी संख्या –2 के पक्ष में तहरीर व तस्दीक गलत कराया है। प्रतिवादी संख्या–1 अपने हक हिस्से तक ही दान पत्र करा सकता था। प्रतिवादी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य गलत दर्ज किये हैं। अतः प्रतिवादी संख्या–1 का यह प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वांन अभिभाषको की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। ग्राम भोंकर की हाल आराजी नम्बर 536, 537, 538 ,511 जिसके साबिक नम्बर 275 हैं को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.10.71, 20.06.72 एवं 5/09/73 से प्रतिवादी संख्या–1 एवं इसके भाई रामपत, सोमदत्त, रमेशकुमार, किशनलाल ने अन्य लोगो से क्रय की है जो स्वयं अर्जित भूमि होने से पिता के जीवनकाल में वादिया काई हक प्राप्त करने की अधिकारी नही है। ग्राम नसोपुर की विवादित भूमि दादालाई होने सम्बन्धी वादिया द्वारा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाना पत्रावली से साबित नही होता हैं। प्रतिवादी संख्या–1 रामचन्द्र ने ग्राम नसोपुर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 118, 119, 120, 606, 117 किता 5 रकबा 16.09 बीघा का 1/5 हिस्सा का दान पत्र जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 25.10.2010 को अपनी पुत्री प्रतिवादी संख्या–2 कुसम देवी के पक्ष में कराया हुआ है तथा वादिया ने दिनांक 03.11.2010 को वाद पेश किया है जो दान पत्र के पश्चात का है। पंजीकृत दान पत्र अब भी प्रभाव में है। प्रथम तो चाहिए की वादिया सक्षम न्यायालय से दान पत्र को निरस्त करावे। दान पत्र प्रभाव में रहते हुए राजस्व न्यायालय द्वारा वाद पत्र में कार्यवाही की जाना विधि विरूद्ध है।

अतः प्रतिवादी संख्या–1/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादिया का मूल वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12/07/2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner